

प्रेषक,  
आर०के०द्विवेदी,  
अनु सचिव,  
उ०प्र०शासन।

सेवा में,  
महानिरीक्षक,  
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,  
उ०प्र०, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक- 31 दिसम्बर,2013  
विषय:- एल०ए० वाद संख्या-5/2005, में मा० अपर जिला जज प्रथम, रमाबाईनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.03.09 के सम्बन्ध में।

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-27243/सम-4/52, दिनांक-09-9-13 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, कानपुर देहात के निर्माण हेतु अर्जित की गयी भूमि के प्रतिकर के भुगतान के संबंध में योजित वाद सं० 5/2005 में मा० अपर जिला जज, रमाबाईनगर(कानपुर देहात) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.03.09 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय,इलाहाबाद में योजित की गयी अपील संख्या 435/2013, जिसका विवरण निम्नलिखित है, में मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.07.2013 को मा० अपर जिला जज,कानपुर देहात द्वारा पारित आदेश एवं डिक्री पर इस प्रतिबन्ध के साथ स्थगन आदेश प्रदान किया है कि अपीलकर्ता एवार्ड की गयी धनराशि का 1/4 भाग 01 माह के भीतर जमा कर दें, जिसे दायेदार कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन निकालने का हकदार होगा :-

क्र	प्रथम अपील संख्या	एल०ए० वाद संख्या	मा० उच्च न्यायालय द्वारा अपील में पारित अन्तरिम आदेश की तिथि	कुल प्रतिकर (धनराशि रूपये में)	कुल प्रतिकर का 1/4 भाग (धनराशि रूपये में)
1	2	3	4	5	
1	435/13 हरी गोपाल	5/2005	29-7-2013	16,17,029.58	4,04,257.00

आर०के०द्विवेदी

1-1-14

महानिरीक्षक

कारागार

लखनऊ


2-1-14

306

18  
2014

...../2

3. इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-आयोजनेतर-09-नवसृजित जनपदों में कारागार के निर्माण हेतु भूमि कय के लिये एक मुश्त ब्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा और उक्त मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1955/वस-2013,दिनांक-30 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
( आरकेओडिवेदी )  
अमु सचिव।

संख्या-1383(1)/22-4-2013-तदु दिनांक-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- प्रधान महालेखाकार (सिविल-आडिट), उ०प्र०,इलाहाबाद।
  - 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ.प्र.,इलाहाबाद।
  - 3- वित्त नियंत्रक,कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवारं, उ०प्र, लखनऊ।
  - 4- जिलाधिकारी, (कानपुर देहात)।
  - 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
  - 6- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
  - 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
( आरकेओडिवेदी )  
उप सचिव।